

194

MOST IMMEDIATE

AC (PLG) MPPR
Diary No. 1149
Date 27/08/12



Dy.No.3796/2012-DD.IB
भारत सरकार/Government of India

शहरी विकास मंत्रालय /Ministry of Urban Development

निर्माण भवन/Nirman Bhavan

नई दिल्ली/New Delhi

Dated 22nd August, 2012

Commr. (Plg) - II
Despatch I-637.....
Date 24/8/12.....

To

The Vice Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan, INA, Director (Plg.) MPR/TC,
New Delhi. D.D.A. Vikas Minar N. DELHI

उपाध्यक्ष कार्यालय
आधी सं. 2253B
दिनांक 23/8/2012

Com (Plg) - II के
27/8/2012

Subject: मास्टर प्लान दिल्ली 2021 से व्याप्त असमंजसताओं को दूर करने के संबंध में।

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of letter dated 03/08/2012 received from Anurag Singh Thakur, MP (Lok Sabha) on the subject cited above.

It is requested that detailed notes on the issues raised by the MP may be provided within a week for submitting the same to UDM.

Yours faithfully,

S.K. Sarkar
22/8/12

(S.K. Sarkar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel.No.23061681

Encl. as above

27/8
30/8
AS (Plg) III

नुराग सिंह ठाकुर

संसद सदस्य (लोक सभा)

14, जनपथ

नई दिल्ली-110 001

दूरभाष : 011-23782365, फ़ैक्स:23782368

OFFICE OF UDM

Dy. No. 3-19

Date ... 16/8/12

ई-मेल : nphamirpur@gmail.com

दिनांक 03-08-2012

अ.शा.प.सं. 50-2012-308

आदर्शनीय श्री कमल नाथजी

PS to UDM

PS to UDM

विषय: मास्टर प्लान दिल्ली 2021 में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के संबंध में।

भारत सरकार ने दिल्ली में अनधिकृत विकास एवं निवास की कठिनाई एवं आवास की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान-2001 को व्यापक रूप से (एक्सटेंसिवली) संशोधित (मॉडीफाई) कर के दिनांक 7-02-2007 को मास्टर प्लान दिल्ली-2021 (एम.पी.डी.2021) के रूप में अधिसूचित (नोटीफाई) इस आशय से किया कि दिल्ली में अनधिकृतरूप से विकसित एवं व्यापारिक गतिविधियों वाले तमाम क्षेत्रों में दिनांक 07-02-2007 तक बने निर्माणों को अतिरिक्त एफ.ए.आर. देकर, उन्हें गिराने एवं उन्हें सीलिंग से बचाया जाए।

इस प्लान में आई त्रुटियों को दूर करने हेतु व्यापक रूप से संशोधित करके दि नैशनल कैपिटल टैरीटरी ऑफ दिल्ली लॉज (स्पेशल प्रॉवीजन्स) सैकिंड एक्ट, 2011 को वर्ष 2014 तक पूरा करने के लिए कदम उठाया और इसका कड़ाई से पालन करने के लिए आपके मंत्रालय के पत्र क्रमांक के-12016/2/2006-डीडीआईबी (वॉल्यूम-सात) दिनांक 19-12-2011 द्वारा संबंधित स्थानीय निकायों को इस आशय के साथ निर्देश दिए गए कि इस अधिनियम के प्रावधानों की नासमझी के कारण किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए एवं दिल्ली के निवासियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाए।

मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूँ कि दिल्ली के सभी क्षेत्रों में लाखों लोग एम.पी.डी.2021 की प्रोटैक्शन से अभी तक वंचित हैं। भारत सरकार ने देश के विभाजन के समय (1947 से 1950 में पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को पुनर्वासित करने के लिए रियायती लीज्ड दरों पर 97 रीसेटलमेंट कौलोनियों का डेवलपमेंट किया और उन्हीं के कार्यकाल में अनधिकृत विकास हुआ। इन कौलोनियों के केवल 10 प्रतिशत भाग में बसी मिक्स्ड यूज लैंड (शॉप कम रेजीडेंस) को वर्ष 2007 में सरकार के आदेशानुसार लोकल बॉडीज को सौंप दिया गया। मास्टर प्लान-2021 की प्रोटैक्शन इन सभी पुनर्विकसित कालोनियों को प्राप्त हुई तथा इन्हीं कौलोनियों में रिहायशी प्लॉटों में दुरुपयोग तथा अनधिकृत-निर्माण को नियमित कर के 2183 सड़कों के साथ नोटीफाई किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही कौलोनी में अनधिकृत दुरुपयोग को एम.पी.डी.2021 के अन्तर्गत रेगुलराइज किया गया और जो सरकार द्वारा विकसित 1962 से पहले विकसित 10 प्रतिशत क्षेत्र लोकल बॉडीज को स्थानांतरित किया गया था, उसे मास्टर प्लान 2021 के नॉर्म से अभी तक वंचित रखा है। यदि ऐसा होगा, तो दिल्ली को पुनः बहुत ज्यादा तोड़-फोड़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को आधारभूत वास्तविकताओं (ग्राउंड रियलिटीज) का ज्ञान नहीं है, जिसके कारण वे कानून की अवहेलना कर के रुकावटें पैदा कर रहे हैं।

..2.

Secretary UD

16/8
AS/UD

17/8
21/08/12
JB

महोदय, आप सहमत होंगे कि इस स्थिति में प्रभावित बस्तियों के लाखों लोग दहशत के साये में जी रहे हैं। एक ही स्थान पर, एक ही वर्ग और एक ही क्षेत्र में अवस्थित संपत्तियों में विभेद करने के कारण दिल्ली की 97 बस्तियों के 10 प्रतिशत क्षेत्र में रह रहे लोगों, जिन्हें लोकल बॉडीज को ट्रांसफर्ड मिक्स्ड लैंड (शॉप कम रेजीडेंस) हिस्से को कोई संरक्षण नहीं मिलने के कारण पुनः शरणार्थी बनने के कगार पर पहुंचा दिया गया है, क्योंकि अनधिकृत डेवलपमेंट के एम.पी.डी. 2021 के अन्तर्गत रैगुलराइज नहीं होने के कारण लीज्ड प्रॉपर्टीज फ्री होल्ड नहीं हो पा रही हैं और न उनकी संपत्तियां पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर प्रतिबंध के कारण बिक रही हैं।

मेरा आग्रह है कि -


(1) जो कानून बनाया गया है उसकी मंशा को युक्तियुक्त तरीके से उपर्युक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में आपके मंत्रालय के अन्तर्गत हस्तांतरित लोकल बॉडीज को 10 प्रतिशत प्रापर्टीज को, जिससे लाखों लोग पिछले पांच सालों से प्रभावित हैं, उन्हें भी एम.पी.डी.-2021 के अन्तर्गत जो दिनांक 07-02-2007 के नॉर्म्स में आती हैं, उन्हें रैगुलराइज किया जाए।

(2) चूंकि ये रिफ्यूजी कॉलोनियां रिलैक्स्ड नॉर्म्स की हकदार हैं, इसलिए 150 मीटर के छोटे प्लॉटों पर अनधिकृत निर्माणों को रैगुलराइज करने के लिए 350 एफ.ए.आर. के स्थान पर 400 एफ.ए.आर. दिए जाने का आदेश दिया जाए।

(3) नियमानुसार 2183 सड़कों पर 70 प्रतिशत गैर-कानूनी रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को कॉमर्शियल रोड्स का दर्जा दिया गया है। इसी आधार पर रैगुलराइज्ड, प्लान्ड एंड डेवलप्ड कॉमर्शियल गतिविधियों पर चल रही 100 परसेंट व्यावसायिक गतिविधियों के आधार पर इन्हें कामर्शियल स्टेटस दिया जाए।

मुझे आशा है कि आप मेरे द्वारा ऊपर दिए गए विवरण में स्पष्ट की गई विषमताओं को दूर करने का आदेश देंगे और मुझे कृत कार्रवाई से अवगत कराने की अनुकंपा करेंगे।

आदर एवं शुभकामनाओं सहित,

भवदीय

 (अनुराग सिंह ठाकुर)

श्री कमल नाथ

शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार
 नई दिल्ली.